नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 188
दि. 12.04.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आचार संहिता पर चुनाव आयोग की सख्ती

अब नोटिस नहीं, सीधे FIR से होगी कार्रवाई

New Delhi से आई इस महत्वपूर्ण खबर ने देश की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव दर्ज कर दिया है। Election Commission of India ने आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन से निपटने के अपने दशकों पुराने तरीके को बदलते हुए अब सीधे एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। यह बदलाव केवल प्रक्रिया का परिवर्तन नहीं, बल्कि चुनावी अनुशासन को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय उस समय आया है, जब चुनावों की अवधि लगातार कम होती जा रही है और चुनावी चरण सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में पहले की तरह नोटिस जारी करना, जवाब मांगना और फिर निर्णय लेना—यह पूरी प्रक्रिया समय की दृष्टि से अव्यावहारिक होती जा रही थी। यही कारण है कि आयोग ने अब सीधे कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है, जिससे चुनावी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग संबंधित नेता या पार्टी को नोटिस भेजता था। उनसे जवाब मांगा जाता था, और फिर परिस्थितियों के आधार पर चेतावनी, फटकार या कभी-कभी प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जाते थे। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती थी। कई बार तो चुनाव समाप्त होने तक भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाता था, जिससे कार्रवाई का प्रभाव कम हो जाता था। इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने महसूस किया कि सख्ती और त्वरित कार्रवाई के लिए प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों का मानना है कि नोटिस और चेतावनी जैसे कदम

अक्सर प्रतीकात्मक बनकर रह जाते हैं और उनका वास्तविक असर सीमित होता है। इसके विपरीत, जब किसी मामले में सीधे एफआईआर दर्ज होती है, तो वह 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम' और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत आता है, जिससे आरोपी पर कानूनी दबाव बढ़ता है और मामले को गंभीरता से लिया जाता है। यही वजह है कि अब गंभीर उल्लंघनों के मामलों में नोटिस भेजने के बजाय सीधे एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है।

इस नई व्यवस्था का प्रभाव हाल ही के कुछ मामलों में भी देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर Mallikarjun Kharge द्वारा असम में एक चुनावी रैली के दौरान की गई कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के मामले में, और Pawan Khera द्वारा असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गए आरोपों के मामले में चुनाव आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि सीधे एफआईआर दर्ज करवाई गई। यह दर्शाता है कि आयोग अब अपने नए रुख को लागू करने में गंभीर है।

दरअसल, आदर्श आचार संहिता के तहत आने वाले अधिकांश उल्लंघन—जैसे सांप्रदायिक अपील करना, व्यक्तिगत आरोप लगाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, मतदाताओं को डराना-धमकाना या भ्रष्ट आचरण—पहले से ही आपराधिक कानूनों के दायरे में आते हैं। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि जब अपराध स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, तो उसे नोटिस की प्रक्रिया में उलझाने के बजाय सीधे कानूनी कार्रवाई करना अधिक प्रभावी होता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "जब किसी मामले में अपराध स्पष्ट हो, तो नोटिस जारी करने और जवाब का इंतजार करने में समय गंवाने के बजाय सीधे एफआईआर दर्ज कराना ज्यादा व्यावहारिक और प्रभावी कदम है।" उनका यह भी कहना है कि चेतावनी या निंदा जैसे कदम अक्सर बार-बार होने वाले उल्लंघनों को रोकने में असफल रहते हैं। कई नेता एक ही प्रकार की बयानबाजी बार-बार दोहराते हैं, जिससे चुनावी माहौल पर नकारात्मक असर पड़ता है।

इस बदलाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे चुनाव आयोग पर लगने वाले पक्षपात के आरोपों में भी कमी आ सकती है। पहले जब आयोग किसी नेता को नोटिस भेजता था, तो अक्सर विपक्ष या सत्ताधारी दल द्वारा उस पर पक्षपात के आरोप लगाए जाते थे। लेकिन एफआईआर दर्ज कराना एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका होती है। इससे यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतीत होती है।

चुनाव आयोग का मानना है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को अधिक अनुशासित और जवाबदेह बनाएगा। जब नेताओं को यह पता होगा कि किसी भी उल्लंघन पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो वे अपनी भाषा और आचरण में अधिक संयम बरतेंगे। इससे चुनावी माहौल भी अधिक शांतिपूर्ण और सकारात्मक बनने की उम्मीद है।

यदि आदर्श आचार संहिता के इतिहास पर नजर डालें, तो यह पहली बार 1960 में केरल के विधानसभा चुनावों के दौरान लागू की गई थी। बाद में 1991 में T. N. Seshan के कार्यकाल में इसे राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सख्ती से लागू किया गया। टी.एन. शेषन को ही इस संहिता को प्रभावी बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने चुनावी सुधारों की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए थे।

आज, दशकों बाद, चुनाव आयोग एक बार फिर उसी तरह के निर्णायक बदलाव की ओर बढ़ता दिख रहा है। यह कदम दर्शाता है कि बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार चुनावी नियमों में सुधार करना आवश्यक है। तेजी से बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में, जहां सूचना का प्रसार बहुत तेज हो गया है और चुनावी बयानबाजी का असर तुरंत दिखाई देता है, वहां त्वरित और सख्त कार्रवाई की जरूरत भी उतनी ही बढ़ गई है।

हालांकि, इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ सकते हैं। जैसे कि क्या हर मामले में सीधे एफआईआर दर्ज करना उचित होगा, या फिर इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इस नई व्यवस्था के प्रभाव से ही स्पष्ट होंगे। लेकिन फिलहाल यह साफ है कि चुनाव आयोग ने चुनावी अनुशासन को लेकर अपना रुख कड़ा कर लिया है।

मतदाता सूची में बड़ा बदलाव: 12 राज्यों-यूटी में 6.08 करोड़ नाम कटे, यूपी और बंगाल में सबसे ज्यादा असर

New Delhi से सामने आई इस बड़ी चुनावी खबर ने देश की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। Election Commission of India द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची से कुल 6.08 करोड़ नाम हटाए गए हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बेहद बड़ा है और इससे देश के चुनावी समीकरणों पर गहरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

इस व्यापक प्रक्रिया के तहत पिछले साल 27 अक्टूबर को शुरू हुए SIR अभियान से पहले इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 51 करोड़ थी, जो अब घटकर 44.92 करोड़ रह गई है। यानी करीब 12 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनावी भागीदारी, राजनीतिक रणनीतियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव डाल सकता है।

सबसे अधिक असर Uttar Pradesh में देखने को मिला है, जहां मतदाताओं की संख्या में करीब 13 प्रतिशत की कमी आई है। यहां कुल 2.04 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और अब राज्य में कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़ रह गई है। यह देश का सबसे बड़ा मतदाता आधार वाला राज्य है, ऐसे में यहां का बदलाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

वहीं West Bengal में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। यहां करीब 91 लाख मतदाता अंतिम सूची से बाहर हो गए हैं। बंगाल पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य माना जाता है, इसलिए इस तरह के बड़े पैमाने पर बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो गई है। SIR के दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, उनमें Tamil Nadu, Rajasthan, Chhattisgarh, Kerala, Gujarat, Madhya Pradesh और Goa के साथ-साथ Puducherry, Andaman and Nicobar Islands और Lakshadweep शामिल रहे। इन सभी क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का गहन सत्यापन किया गया, जिसमें मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट नामों को हटाया गया।

चुनाव आयोग का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। वर्षों से यह शिकायत रही है कि वोटर लिस्ट में डुप्लिकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम या ऐसे लोग शामिल रहते हैं, जो उस क्षेत्र में निवास नहीं करते। SIR अभियान के जरिए इन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बन सके। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर कई राज्यों में राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं। खासकर West Bengal और Tamil Nadu में राजनीतिक दलों ने इस अभियान पर सवाल उठाते हुए इसे अदालत में चुनौती दी है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है और इससे कुछ वर्गों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है।

चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को देशभर में SIR लागू करने का आदेश दिया था। अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। पहले चरण में Bihar को शामिल किया गया था, जबकि दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया। Assam में SIR की बजाय 10 फरवरी को अलग से स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया पूरी की गई थी।

आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल लगभग 99 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से अब तक करीब 60 करोड़ को SIR प्रक्रिया के तहत कवर किया जा चुका है। शेष 39 करोड़ मतदाताओं को तीसरे चरण में शामिल किया जाएगा, जिसमें 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। यह प्रक्रिया पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद शुरू की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटना एक गंभीर विषय है, जिसे संतुलित दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। जहां एक ओर यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ और सटीक बनाती है, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से न हटे।

बेअदबी पर सख्ती: पंजाब सरकार लाई उम्रकैद तक सजा वाला संशोधन विधेयक

Chandigarh से सामने आए इस अहम फैसले ने धार्मिक आस्था और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। Punjab सरकार ने बेअदबी (धार्मिक ग्रंथों के अपमान) से जुड़े कानून को और सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'जागत जोत श्री Guru Granth Sahib सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026' को हरी झंडी दी गई, जिसमें दोषियों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान शामिल है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ वर्षों में बेअदबी की घटनाओं ने पंजाब के सामाजिक और धार्मिक माहौल को कई बार झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं ने न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, बल्कि कई बार सांप्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी चुनौती दी। ऐसे में राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि मौजूदा कानून इन घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और सख्त कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है।

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता को बनाए रखना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि बेअदबी जैसी संवेदनशील घटनाएं समाज में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, इसलिए इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक व्यवस्था जरूरी है। प्रस्तावित कानून में यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बेअदबी करता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल है।

सरकार का यह भी कहना है कि वर्तमान में लागू Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 के तहत ऐसे अपराधों के लिए जो सजा निर्धारित है, वह इन मामलों की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि राज्य स्तर पर एक विशेष कानून लाकर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस संशोधन के जरिए न केवल सजा को कड़ा किया गया है, बल्कि यह संदेश भी दिया गया है कि धार्मिक आस्थाओं के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां इस पर चर्चा होने के बाद इसे पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यदि यह विधेयक पास हो जाता है, तो यह देश के उन चुनिंदा कानूनों में शामिल हो जाएगा, जिनमें धार्मिक अपमान के मामलों में इतनी कठोर सजा का प्रावधान होगा।

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां धर्म और सामाजिक ताने-बाने का गहरा संबंध है। ऐसे में किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अपमान की घटना व्यापक प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। सरकार का मानना है कि सख्त कानून से न केवल अपराधियों में डर पैदा होगा, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

हालांकि, इस तरह के कानूनों को लेकर हमेशा एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है, ताकि सख्ती के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया भी निष्पक्ष बनी रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि कानून जितना सख्त हो, उसका क्रियान्वयन भी उतना ही पारदर्शी और न्यायसंगत होना चाहिए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे और कानून का दुरुपयोग न हो।

वैश्विक संकट के बीच सख्ती: डीजल-एटीएफ पर बढ़ी एक्सपोर्ट ड्यूटी से तेल कंपनियों को झटका

New Delhi से आई इस अहम आर्थिक खबर ने ऊर्जा क्षेत्र में हलचल तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क (विंडफॉल टैक्स) में भारी बढ़ोतरी करते हुए तेल कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। Ministry of Finance India द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब डीजल पर निर्यात शुल्क 55.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति ने कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव पैदा कर दिया है। खासतौर पर Iran, United States और Israel के बीच बढ़े सैन्य टकराव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार को प्रभावित किया है। इस अस्थिरता का सीधा असर भारत जैसे तेल आयातक देश पर पड़ता है, जहां ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में डीजल और विमान ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ज्यादा होती हैं, तो तेल कंपनियां अधिक मुनाफा कमाने के लिए निर्यात को प्राथमिकता देती हैं। इससे घरेलू बाजार में आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्यात पर ज्यादा शुल्क लगाकर कंपनियों के लिए विदेश में बेचने को कम आकर्षक बनाने की रणनीति अपनाई है।

यदि पिछली दरों पर नजर डालें, तो 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया था। अब नई दरों के साथ यह वृद्धि काफी अधिक है, जो यह दर्शाती है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। हालांकि पेट्रोल पर अब भी कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार फिलहाल डीजल और एविएशन फ्यूल पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है।

पश्चिम एशिया में तनाव की पृष्ठभूमि भी इस फैसले की एक बड़ी वजह है। 28 फरवरी को United States और Israel द्वारा Iran पर किए गए सैन्य हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। इसके जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई। हालांकि 8 अप्रैल को इन देशों के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम (सीजफायर) लागू हुआ, लेकिन बाजार में अस्थिरता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार का यह कदम एक तरह से 'प्रिवेंटिव स्ट्राइक' माना जा रहा है, जिससे घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके और कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले का घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। खुदरा बाजार में कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं और उपभोक्ताओं को किसी तत्काल बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

ऊर्जा मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के अनुसार देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा घरेलू LPG सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 51.5 लाख से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जो आपूर्ति तंत्र की मजबूती को दर्शाता है।

हालांकि एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया है कि अब तक 26,000 से अधिक PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) उपभोक्ताओं ने अपने LPG कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। यह संकेत देता है कि शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर झुकाव बढ़ रहा है, जो भविष्य में ऊर्जा खपत के पैटर्न को बदल सकता है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अल्पकालिक रूप से तेल कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जब घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहती है, तो महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और आम लोगों पर बोझ कम पड़ता है।

साथ ही, यह फैसला यह भी दर्शाता है कि सरकार वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखते हुए समय-समय पर अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए तैयार है। ऊर्जा क्षेत्र में इस तरह के त्वरित और रणनीतिक फैसले ही किसी देश को वैश्विक संकटों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का यह निर्णय केवल एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना, बाजार में संतुलन बनाए रखना और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आने वाले दिनों में इस फैसले का असर तेल कंपनियों, निर्यात बाजार और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह पड़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

संपादकीय

कोई भी भेदभाव धर्म के मर्म के विरुद्ध

यह विडंबना ही है कि 21वीं सदी, जिसे ज्ञान की सदी भी कहा जाता है, में किसी व्यक्ति के धार्मिक स्थल विशेष जाने पर वर्ग या लिंगभेद के आधार पर रोक लगे। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से सहमत हुआ जा सकता है जिसमें कहा गया कि मंदिरों व मठों में प्रवेश में भेदभाव धर्म के लिये अच्छा नहीं है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने धार्मिक स्थलों में महिलाओं से भेदभाव के मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। देश की शीर्ष अदालत का मानना था कि मंदिरों और मठों में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अदालत ने चिंता जतायी कि यदि ऐसा नहीं होता है तो समाज में विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। जिसका धर्म विशेष की सर्वस्वीकार्यता पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ धार्मिक स्थलों में महिलाओं से भेदभाव के मामले में सात कानूनी सवालों पर विचार कर रही है। जिसमें केरल के बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर में दस से पचास साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का मुद्दा भी शामिल है। दरअसल, केरल के कई संगठनों की ओर से शीर्ष अदालत में उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी थी कि संप्रदाय विशेष का मंदिर, इस मामले में प्रवेश की अनुमति और पूजापाठ की इजाजत एक संप्रदाय विशेष तक सीमित रख सकता है। इस प्रसंग में पीठ की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर और मठ में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को रोका जाना हिंदू धर्म के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। दूसरे शब्दों में इसका धर्म पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। निश्चित रूप से देशकाल व परिस्थितियों के अनुसार देश के कानून व संविधान में भी परिवर्तन किए गए हैं। ऐसा में आस्था स्थलों से जुड़ी मान्यताओं व परंपराओं पर भी तर्कशील ढंग से विचार किया जाना जरूरी है। यह किसी भी समाज में समतामूलक सोच के विस्तार के लिये अपरिहार्य शर्त होनी चाहिए। इस दिशा में उदार सोच समय की जरूरत है।

इसमें दो राय नहीं कि हमारे धार्मिक स्थल हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को समृद्ध करने में अहम भूमिका निभाते हैं। धार्मिक होने का मतलब है ममता-समता और लोककल्याण से जुड़ी व्यापक दृष्टि का होना। श्रद्धालु किसी भी धार्मिक स्थल में मन की शांति और सुकून के लिये जाते हैं। इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि पूजा पद्धति व धार्मिक स्थल में प्रवेश रोकने पर हमारे आराध्य प्रसन्न होंगे। पौराणिक प्रसंगों में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं जब धरती पर अवतार लेने वाले देवताओं ने किसी वंचित समाज के व्यक्ति और महिलाओं को लेकर किसी तरह के भेदभाव को प्रश्रय दिया हो। छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब व महिला व पुरुष का भेद कभी उनके कालखंड में सामने नहीं आया। इसके बावजूद देशकाल परिस्थितियों में तथा तार्किकता के अभाव में यदि किसी तरह भेदभाव कतिपय कारणों से सामने आया भी हो, तो वक्त का तकाजा यही है कि उन्हें समय के अनुकूल ढाला जाए। आस्था के नजरिये से बात करें तो भी ईश्वर ने अपनी किसी भी रचना को लेकर कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। तो फिर उसके रचे इंसानों को किसी तरह के भेदभाव की अनुमति कैसे दी जा सकती थी। बहुत संभव है कि किसी समय में शुचिता को लेकर परंपरागत सोच रही हो। लेकिन आज विज्ञान ने कई प्राचीन धारणाओं व रूढ़ियों को बदलकर नई दृष्टि दी है। चंद्रमा हजारों साल से मानवीय आस्था का प्रतीक रहा है। हिंदू, मुस्लिम व अन्य धर्म किसी न किसी रूप में चंद्रमा को गहन आस्था के केंद्र के रूप में देखते रहे हैं। 19वीं सदी में कौन सोच सकता है कि तमाम धर्मों में पूज्य चांद पर कभी इंसान भी कदम रख सकता है। लेकिन आज यह हकीकत है कि भारत समेत कई विकसित देशों के मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरे हैं। बहरहाल, ऐसे में उस धर्म विशेष की सर्वस्वीकार्यता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं, जो व्यक्ति, वर्ग, संप्रदाय व लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेद करता हो। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे निर्णयों का धर्म पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

Veerappan की पत्नी और बेटी को चुनाव मैदान में जनता का मिल रहा समर्थन, Tamilnadu में नई सियासी हलचल

> विद्यारानी का कहना है कि यदि उनके पिता वीरप्पन आज जीवित होते तो वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते। वह अपने भाषणों में वीरप्पन की छवि को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं जिसने शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में एक दिलचस्प राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। लगभग दो दशक पहले जिस नाम से जंगलों में भय का माहौल बन जाता था, उसी वीरप्पन की विरासत को अब उसकी बेटी और पत्नी नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं। कभी एक खतरनाक जंगली डाकू के रूप में पहचाने जाने वाले वीरप्पन की छवि को अब लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से एक अलग दिशा देने का प्रयास हो रहा है।हम आपको बता दें कि वीरप्पन की बड़ी बेटी विद्यारानी, जो पेशे से वकील हैं, वह इस बार मेट्टूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। वह नाम तमिलर काची नामक पार्टी की उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यह उनका दूसरा चुनाव है, इससे पहले उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कृष्णगिरि से चुनाव लड़ा था और एक लाख से अधिक मत हासिल किए थे। दूसरी ओर, उनकी मां मुथुलक्ष्मी कृष्णगिरि सीट से तमिलगा वलवुरिमै काची पार्टी की उम्मीदवार हैं। हम आपको बता दें कि यह दोनों ही दल तमिल पहचान और तमिल राष्ट्रवाद को अपने राजनीतिक आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

विद्यारानी का कहना है कि यदि उनके पिता आज जीवित होते तो वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते। वह अपने भाषणों में वीरप्पन की छवि को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं जिसने शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। मेट्टूर में एक

जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता को जिस तरह से खतरनाक अपराधी के रूप में दिखाया गया, वह पूरी सच्चाई नहीं है। उनके इस बयान को खासकर युवाओं के बीच अच्छा समर्थन मिल रहा है।

नाम तमिलर काची के प्रमुख सीमैन भी विद्यारानी के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने वीरप्पन की तुलना एक ऐसे रक्षक से की जो जंगलों और तमिल समाज की रक्षा करता था। इस तरह के बयान यह संकेत देते हैं कि यह चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पहचान और इतिहास की व्याख्या भी शामिल है।

हम आपको बता दें कि विद्यारानी की राजनीतिक यात्रा भी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने अपने कॅरियर की शुरुआत पट्टाली मक्कल काची से की थी, जो वन्नियार समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी मानी जाती है। बाद में वह 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं और फिर 2024 में नाम तमिलर काची का दामन थाम लिया। इस बदलाव से यह भी स्पष्ट होता है कि वह अपने लिए एक ऐसी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं जहां उनकी पहचान और विचारधारा को ज्यादा जगह मिल सके।

दूसरी ओर, वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी अपने चुनाव प्रचार में किसानों के मुद्दों पर खास जोर दे रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने किसानों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को करीब से समझा है। वह पानी, फसल और किसानों की गरिमा के सवाल को अपने चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बना रही हैं। उनका यह रुख ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही महिलाएं अपने अतीत को छिपाने के बजाय उसे खुले तौर पर स्वीकार कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें लोगों से किसी तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ रहा, बल्कि उन्हें सम्मान मिल रहा है। यह बात इस ओर इशारा करती है कि समय के साथ लोगों की सोच में भी बदलाव आया है और अब वह पुराने घटनाक्रमों को नए नजरिए से देखने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों की उम्मीदवारी का असर खास तौर पर पट्टाली मक्कल काची पर पड़ सकता है, जो अन्नाद्रमुक की सहयोगी पार्टी है। मेट्टूर और कृष्णगिरि क्षेत्र में वन्नियार समुदाय का प्रभाव काफी ज्यादा है और यह माना जा रहा है कि विद्यारानी और मुथुलक्ष्मी इस समुदाय के मतों में सेंध लगा सकती हैं। हालांकि दोनों उम्मीदवार अपने अभियान में जाति को सीधे तौर पर मुद्दा नहीं बना रही हैं, फिर भी सामाजिक समीकरणों पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। बहरहाल, यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि छवि, विरासत और पहचान की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश भी है। वीरप्पन की कहानी को एक नए नजरिए से प्रस्तुत करने का यह प्रयास तमिलनाडु की राजनीति में एक अनोखा अध्याय जोड़ रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इस नई कथा को कितना स्वीकार करते हैं और इसका चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ता है?

प्रेरणा

जब समय मौन होता है, तब धैर्य बोलता है

मनुष्य के जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। वह दिन-रात मेहनत करता है, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहता है, लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिलते। यही वह समय होता है जब मन डगमगाने लगता है और आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। ऐसी ही स्थिति उस शिष्य की थी, जिसने वर्षों तक साधना की, लेकिन उसे कोई स्पष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उसकी निराशा स्वाभाविक थी, क्योंकि वह अपने प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता था। उसने अपने गुरु के सामने अपनी शंका रखी, और गुरु ने उसे जो समझाया, वह जीवन का एक ऐसा सत्य है जो हर युग में समान रूप से लागू होता है।

गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि इस संसार में हर चीज का अपना समय होता है। कोई भी प्रक्रिया अचानक पूरी नहीं होती, बल्कि वह धीरे-धीरे अपने पूर्ण रूप तक पहुँचती है। उन्होंने चीनी बांस के बीज का उदाहरण दिया, जो वर्षों तक जमीन के भीतर ही रहता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह बीज निष्क्रिय है, उसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भीतर ही भीतर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। वह धरती के अंदर गहराई तक फैल रहा होता है, ताकि जब वह बाहर निकले, तो आकाश को छू सके और किसी भी तूफान में अडिग खड़ा रह सके।

यह उदाहरण केवल एक पौधे की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन का भी सटीक प्रतिबिंब है। हम अक्सर अपने जीवन में भी उसी तरह के दौर से गुजरते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। हम मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता दूर नजर आती है। ऐसे समय में हम अपने प्रयासों पर संदेह करने लगते हैं, और यही वह क्षण होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे इस मौन काल को समझते हैं और उसे अपनी तैयारी का समय मानते हैं।

धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि यह उस प्रतीक्षा के दौरान स्वयं को विकसित करने की प्रक्रिया है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जब हम धैर्य के साथ किसी कार्य में लगे रहते हैं, तो हम केवल बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हम अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही आंतरिक विकास आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है।

जीवन में जो लोग जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अक्सर उसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते, क्योंकि उनकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं होतीं। इसके विपरीत, जो लोग समय लेकर, संघर्ष करके और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी सफलता अधिक स्थायी होती है। वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।

आज के समय में, जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है, धैर्य रखना और भी कठिन हो गया है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए—चाहे वह ज्ञान हो, धन हो या सम्मान। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो चीजें समय लेकर मिलती हैं, उनका मूल्य भी अधिक होता है। जैसे एक वृक्ष जो धीरे-धीरे बढ़ता है, वह वर्षों तक फल देता है और छाया प्रदान करता है, वैसे ही धैर्य से प्राप्त की गई सफलता भी लंबे समय तक हमारे जीवन को समृद्ध करती है।

साधना का मार्ग विशेष रूप से धैर्य की मांग करता है। इसमें निरंतरता और समर्पण आवश्यक होता है। जब कोई साधक अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो वह परिणाम की चिंता छोड़ देता है और केवल अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है। यही वह अवस्था होती है जब वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। धीरे-धीरे उसका मन शांत होता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है और वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है।

धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि वह एक सीख है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमने कहाँ गलती की और हमें क्या सुधार करना चाहिए। यदि हम धैर्य के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हम हर असफलता को एक नए अवसर में बदल सकते हैं। गुरु की शिक्षा का सार यही था कि हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ चलना सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन का प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। हमें अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी।

जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई स्थिरता आती है। हम परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय उन्हें समझने लगते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, बिना इस चिंता के कि परिणाम कब मिलेगा। यही मानसिकता हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है।

अंततः, धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर संघर्ष से पार पाने में मदद करती है। यह हमें मजबूत बनाता है, हमें संतुलित रखता है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाए रखता है। जब हम धैर्य के साथ अपने जीवन की यात्रा करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि उस यात्रा का भी आनंद लेते हैं।

इसलिए, जब भी आपको लगे कि आपके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो उस बीज को याद करें जो वर्षों तक मिट्टी के भीतर रहा। याद रखें कि वह भी एक दिन विशाल वृक्ष बना, क्योंकि उसने धैर्य रखा और अपनी जड़ों को मजबूत किया। उसी तरह, आपका धैर्य भी एक दिन आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जहां से आप अपने हर संघर्ष को गर्व के साथ देख सकेंगे।

राजनीतिक दृढ़ता का अप्रतिम उदाहरण

एक समय जिस माओवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में देखा जाता था, उससे देश को अब मुक्ति मिल गई है। इस मुक्ति में माओवाद के सफाए से जुड़े मोदी सरकार के संकल्प की अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा माओवाद विरोधी नीतियों के सक्षम क्रियान्वयन के दम पर देश इस चुनौती से पार पाने में सफल हो सका है। याद रहे कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब 126 जिले माओवाद से प्रभावित थे।

इनमें से 36 में तो माओवादियों की तूती बोलती थी। अब माओवाद की बची-खुची जड़ें केवल दो जिलों तक सिमटकर रह गई हैं और उनके वर्चस्व वाले जिलों की संख्या शून्य हो गई। माओवादी हिंसा देश की जड़ों को खोखला कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों और संबंधित राज्यों के पुलिस बल की एक व्यापक एवं सुव्यवस्थित रणनीति से ही माओवाद की समाप्ति में सफलता मिल सकी। निश्चित रूप से यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

बीते दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने संसद को इस सफलता के विषय में सूचित भी किया। उन्होंने सदन में बताया कि 2014 से अब तक 4,839 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। जबकि 2,218 गिरफ्तार किए गए और 706 माआवोदी विभिन्न अभियानों में मार गिराए गए। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में राज्य की बढ़ती पैठ का एक प्रमाण यह है कि इस दौरान वहां 596 पुलिस थाने मजबूत किले में तब्दील हो गए तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 406 नए कैंप भी स्थापित किए गए।

रात्रि में भी अभियान छेड़ने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिनमें ऐसी सुविधा वाले 68 हैलीपैड भी शामिल हैं, जहां रात को भी लैंडिंग संभव थी। माओवाद के विरुद्ध मिली उल्लेखनीय सफलता यह सोचने पर भी विवश करती है कि करीब 12 करोड़ की आबादी वाले हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाली माओवादी हिंसा से निपटने में पूर्व की सरकारें क्यों विफल रहीं? इसका स्पष्ट उत्तर निकलेगा और वह है दृढ़ता की कमी और राजनीतिक मजबूरियां।

दूसरे शब्दों में कहें तो नीयत साफ नहीं थी। देश में माओवाद की जड़ें इंदिरा गांधी के शासन में पनपनी शुरू हुईं। 1969 में कांग्रेस में विभाजन के बाद इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वामपंथी दलों के सहारे की जरूरत थी। इस सहारे के बदले में कांग्रेस सरकार ने वामपंथियों और उनके वैचारिक सहोदरों माओवादियों के प्रति नरम रुख अपनाया। कांग्रेस ने स्वयं को प्रगतिशील दिखाने के लिए भी माओवादियों पर सख्ती नहीं की। जबकि माओवाद मध्य भारत में अपना विस्तार करते हुए देश की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रहा था। इसका ही परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में फैलते गए माओवाद से देश में लाल गलियारे की संकल्पनाएं तैरने लगीं।

माओवाद से निपटने के मामले में स्थितियां केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद बदलीं। गृहमंत्री अमित शाह ने एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया। पूर्व की सरकारें इस आधार पर भी विफल रहीं कि वे स्थानीय जनता को यह भरोसा दिलाने में सक्षम नहीं हो पाईं कि सरकार माओवाद की समाप्ति को लेकर गंभीर है। इसी कारण जनता में माओवादियों का खौफ बना रहा।

मोदी सरकार ने लोगों का यह नजरिया बदला। मोदी के शासनकाल में हालात बदलने लगे। मनमोहन सिंह के शासनकाल (2004-20014) के दौरान माओवाद प्रभावित जिलों में 16463 हिंसक घटनाएं हुईं, जबकि मोदी के शासनकाल (2014-2024) में यह संख्या घटकर 7744 रह गई।

मोदी सरकार ने बार-बार दोहराया कि 31 मार्च, 2026 तक माओवादियों का समूल नाश कर दिया जाएगा। यह घोषणा सरकार के प्रमुख चेहरे अमित शाह करते रहे। इससे पहले किसी भी भारतीय नेता ने इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या को समाप्त करने का ऐसा महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय नहीं किया था। यदि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रहे तो उसमें भी बड़ा राजनीतिक जोखिम था, लेकिन आत्मविश्वास से ओतप्रोत मोदी-शाह की जोड़ी अपनी दृढ़ता से इस लक्ष्य की पूर्ति को लेकर आश्वस्त थी।

एक ओर सरकार माओवादियों से निपटने में कोई नरमी नहीं बरत रही थी, तो दूसरी ओर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही थी, ताकि जनता को समझ आए कि जब लोकतांत्रिक शासन अपने सही स्वरूप में सक्रिय हो तो उसके कितने सार्थक परिणाम सामने आते हैं। आक्रामक अभियान के चलते माओवादियों के शीर्ष कमांडर या तो मारे गए या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण करने की राह चुनी। इससे कैडरों का हौसला भी प्रभावित हुआ।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार ने माओवादी हिंसा को कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में अलगाववाद से भी बड़ी चुनौती बताया तो था, लेकिन उनकी सरकार ने इससे निपटने के लिए कारगर प्रयास नहीं किए। अब जब मोदी और शाह की जोड़ी ने माओवाद पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल की है तो भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इतनी गरिमा भी नहीं दिखाई कि वे सरकार के इन प्रयासों की सराहना कर सकें। उलटे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में माओवादियों की सहभागिता की चर्चा हुई। शाह ने संसद में कहा कि राहुल गांधी को 2010 में ओडिशा और 2018 में हैदराबाद में माओवादियों और उनके समर्थकों के साथ मंच साझा करते देखा गया।

माओवादियों के प्रति राहुल के समर्थन का सबसे शर्मनाक वाकया तब सामने आया, जब उन्होंने माओवादी सरगना हिडमा के एनकाउंटर का विरोध कर रहे माओवादी समर्थकों का इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन में साथ दिया। याद रहे कि हिडमा के खून 170 से अधिक सुरक्षाकर्मियों के रक्त से सने हुए थे। नकारात्मकता में डूबे ये दल भले ही इस सफलता की सराहना करने में संकोच करें, पर देश मोदी-शाह की जोड़ी का आभारी रहेगा, जिसने देश को इस समस्या से मुक्ति दिलाई।

अभियान

दशा माता की कृपा और धागे का रहस्य: आस्था, धैर्य और भाग्य परिवर्तन की अद्भुत कथा

भारतीय संस्कृति में व्रत और पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं होते, बल्कि वे जीवन को संतुलित करने, मन को स्थिर रखने और भाग्य को दिशा देने का माध्यम माने जाते हैं। इन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है दशा माता का व्रत, जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे परिवार के सुख, समृद्धि और स्थिरता पर पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दशा माता, देवी पार्वती का ही एक स्वरूप हैं, जो अपने भक्तों के जीवन की दशा को सुधारने वाली शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं।

दशा माता का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण आस्था का प्रतीक है, जिसमें नियम, संयम, पूजा और कथा का विशेष महत्व होता है। इस दिन नीम, पीपल और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों की पूजा की जाती है, क्योंकि इन वृक्षों को जीवन, स्थायित्व और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। इन वृक्षों के नीचे बैठकर या इनके समीप पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को एक विशेष शांति प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से एक पवित्र धागा, जिसे "डोरा" कहा जाता है, अपने गले में धारण करती हैं। यह डोरा केवल एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक होता है।

इस व्रत की महिमा को समझाने के लिए एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा प्रचलित है, जो प्राचीन काल के एक महान राजा और उनकी धर्मपत्नी से जुड़ी हुई है। यह कथा है राजा नल और रानी दमयंती की, जिनका जीवन सुख, वैभव और प्रेम से परिपूर्ण था। राजा नल एक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे, जबकि रानी दमयंती अत्यंत धर्मनिष्ठ और श्रद्धालु थीं। वे दशा माता की अनन्य भक्त थीं और पूरे विधि-विधान के साथ उनका व्रत करती थीं। एक दिन की बात है, जब राजा नल ने रानी दमयंती के गले में एक धागा देखा। उन्होंने उत्सुकतावश रानी से इसके बारे में पूछा। रानी ने बड़े श्रद्धा भाव से दशा माता के व्रत और उस धागे के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह डोरा माता की कृपा का प्रतीक है और इसे धारण करने से जीवन में कभी धन-संपत्ति की कमी नहीं होती। लेकिन राजा नल, जो उस समय अपने वैभव और शक्ति के कारण थोड़े अहंकार में थे, उन्होंने रानी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इस आस्था को अंधविश्वास समझा और बिना सोचे-समझे रानी के गले से वह डोरा निकालकर फेंक दिया।

राजा नल का यह व्यवहार केवल एक धागे को हटाना नहीं था, बल्कि वह आस्था और विश्वास का अपमान था। यही कारण था कि दशा माता उनसे कुपित हो गईं। इसके बाद जो हुआ, वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में आस्था के महत्व को गहराई से समझाने के लिए पर्याप्त है। धीरे-धीरे राजा नल का भाग्य बदलने लगा। उन्होंने जुएं में अपना सारा राजपाट खो दिया और उन्हें अपने राज्य से दूर जंगलों में भटकना पड़ा। इतना ही नहीं, उन पर चोरी का आरोप भी लगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा भी नष्ट हो गई।

राजा और रानी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें अपने जीवनयापन के लिए जंगल में लकड़ी काटकर बेचनी पड़ी। जो राजा कभी वैभव में रहता था, वह अब साधारण जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इस कठिन समय में भी रानी दमयंती का विश्वास अडिग रहा। उन्होंने दशा माता की पूजा और व्रत को कभी नहीं छोड़ा। उनका यह अटूट विश्वास ही उनके जीवन का सहारा बना। समय बीतता गया और फिर एक बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आई। इस बार राजा नल भी अपने जीवन के अनुभवों से विनम्र हो चुके थे। उन्होंने रानी के साथ मिलकर पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ दशा माता का व्रत किया। उन्होंने सच्चे मन से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और माता से आशीर्वाद की प्रार्थना की।

उसी रात रानी दमयंती को स्वप्न में दशा माता के दर्शन हुए। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। जब रानी ने यह स्वप्न राजा नल को बताया, तो उनके मन में भी एक नई आशा जागी। उन्होंने विश्वास किया कि माता की कृपा से उनके अच्छे दिन अवश्य लौटेंगे।

धीरे-धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। परिस्थितियां सुधरने लगीं और अंततः दशा माता की कृपा से राजा नल को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह आस्था, धैर्य और सच्ची भक्ति का परिणाम था। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हमारा विश्वास अडिग है और हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हर संकट का समाधान संभव है।

दशा माता के व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इस दिन पूजा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से डोरा को सम्मानपूर्वक धारण करना चाहिए और उसे अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण होता है।

यह व्रत केवल धन-संपत्ति प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के मूल्यों को समझने का अवसर भी देता है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग करना चाहिए, आस्था का सम्मान करना चाहिए और कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। रानी दमयंती की तरह यदि हमारा विश्वास अटूट है, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को संवार सकते हैं।

आज के आधुनिक समय में, जब लोग तर्क और विज्ञान के आधार पर हर चीज को परखते हैं, तब भी ऐसे व्रत और कथाएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम करती हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख-सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें आध्यात्मिक संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। अंततः, दशा माता का व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। अच्छे और बुरे दिन आते-जाते रहते हैं, लेकिन यदि हम अपने विश्वास को बनाए रखें और सही मार्ग पर चलते रहें, तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए इस पावन व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करना चाहिए, ताकि माता की कृपा से हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

टेक्निकल टेक्सटाइल और स्पोर्टटेक में सूरत की नई छलांग उद्योग जगत को मिला भविष्य की दिशा का स्पष्ट रोडमैप

Surat एक बार फिर अपने पारंपरिक टेक्सटाइल गढ़ की पहचान से आगे बढ़ते हुए भविष्य की उद्योग क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। बदलते वैश्विक बाजार और तकनीकी नवाचारों के इस दौर में शहर के उद्योगपतियों को नई दिशा देने के उद्देश्य से Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry द्वारा टेक्निकल टेक्सटाइल, एमएमएफ (मैन मेड फाइबर), स्पोर्टटेक और एक्टिववियर सेक्टर में उभरते अवसरों पर एक विशेष सेशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 9 अप्रैल 2026 को नानपुरा स्थित समृद्धि भवन में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्र और उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण संगठनों का सहयोग देखने को मिला।

इस आयोजन में Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, ITADC Surat और Concepts N Strategies की भागीदारी ने इसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत चैंबर के प्रेसिडेंट Nikhil Madrasi के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के सामने मौजूद नई संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पारंपरिक फैब्रिक उत्पादन के साथ-साथ अब टेक्निकल टेक्सटाइल और स्पोर्टटेक जैसे सेगमेंट्स में प्रवेश करना समय की मांग बन चुका है। वैश्विक स्तर पर इन सेक्टर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और यदि सूरत के उद्योगपति समय रहते इन क्षेत्रों में निवेश और नवाचार करते हैं, तो वे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित Nilay Pandya ने टेक्निकल टेक्सटाइल और एमएमएफ सेक्टर में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और एक्सपोर्ट प्रमोशन जैसी कई सुविधाएं प्रदान कर रही है। उनका जोर इस बात पर था कि उद्योगपति इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने व्यवसाय को नए आयाम दें।

सेशन के मुख्य आकर्षण रहे एक्सपर्ट स्पीकर Kishan Kumar Daga, जिन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में टेक्निकल टेक्सटाइल और स्पोर्टटेक सेक्टर की बढ़ती मांग और संभावनाओं पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में ये सेक्टर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल होंगे। उन्होंने सूरत के उद्योगपतियों को सलाह दी कि वे केवल उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी अपग्रेडेशन पर भी विशेष ध्यान दें।

उन्होंने यह भी कहा कि स्पोर्टटेक और एक्टिववियर जैसे सेगमेंट्स में आज के युवा उपभोक्ताओं की मांग तेजी से बढ़ रही है, जहां परफॉर्मेंस फैब्रिक, स्मार्ट टेक्सटाइल और टिकाऊ उत्पादों की जरूरत है। यदि सूरत इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह शहर वैश्विक स्तर पर एक नया ट्रेंडसेटर बन सकता है।

कार्यक्रम में Ambika Kumari ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में प्रवेश के लिए आवश्यक रणनीति पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी नए सेक्टर में प्रवेश करने से पहले मार्केट स्टडी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टारगेट कस्टमर की समझ बेहद जरूरी होती है। उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स और सरकारी सहायता का सही तरीके से उपयोग करने की भी सलाह दी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टेक्निकल टेक्सटाइल केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक तकनीकी दृष्टिकोण है, जिसमें परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्पेशल एप्लिकेशन का ध्यान रखा जाता है। इसलिए इसमें सफलता के लिए आधुनिक मशीनरी, स्किल्ड मैनपावर और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बेहद जरूरी है।

इस पूरे कार्यक्रम का संचालन चैंबर के जीएफआरआरसी के को-चेयरमैन Amrish Bhatt ने किया, जबकि टेक्निकल टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन Paresh Thumar ने स्पीकर्स का परिचय कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपति, टेक्सटाइल कारोबारी और सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जो इस विषय में गहरी रुचि और जागरूकता को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मार्गदर्शन सत्र सूरत के उद्योग जगत को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालकर नए क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज जब वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहा है और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, तब केवल परंपरागत उत्पादों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। ऐसे में टेक्निकल टेक्सटाइल और स्पोर्टटेक जैसे सेक्टर्स में प्रवेश करना एक रणनीतिक कदम साबित हो सकता है।

यह भी देखा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पादों की मांग बढ़ रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल इस दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें रिसाइक्लेबल और इको-फ्रेंडली मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। सूरत, जो पहले से ही टेक्सटाइल उत्पादन में अग्रणी है, इस बदलाव का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है।

इस सेशन के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि यदि सूरत के उद्योगपति समय के साथ अपने आप को अपडेट करते हैं और नई तकनीकों को अपनाते हैं, तो वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में न केवल टिक पाएंगे, बल्कि अग्रणी भूमिका भी निभा सकते हैं। यह आयोजन केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रेरणा का स्रोत बना, जिसने उद्योग जगत को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि यह विशेष सेशन सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह न केवल नए अवसरों के द्वार खोलता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शहर अब पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर तकनीक और नवाचार के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में यदि इन सुझावों और रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो सूरत टेक्निकल टेक्सटाइल और स्पोर्टटेक के क्षेत्र में एक वैश्विक हब के रूप में उभर सकता है।

ऑन-ड्यूटी हज सुपरिटेंडेंट – 2026 के लिए पश्चिम रेलवे के कर्मचारी का चयन

पश्चिम रेलवे के लिए यह अत्यंत गर्व एवं सम्मान का विषय है कि बोटाद स्थित लोको पायलट श्री सब्बीरखान हिसामखान पठान का चयन "ऑन-ड्यूटी हज सुपरिटेंडेंट – 2026" के प्रतिष्ठित पद हेतु किया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हज, जो कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है, उसके सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनमें "हज सुपरिटेंडेंट" का पद अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण एवं गौरवपूर्ण माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित करना होता है।

श्री पठान का चयन केंद्र सरकार स्तर पर आयोजित कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, जिसमें उन्होंने

सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे से वे इस पद के लिए एकमात्र चयनित उम्मीदवार हैं।

यह उपलब्धि न केवल श्री पठान के लिए व्यक्तिगत गर्व का विषय है, बल्कि पश्चिम रेलवे एवं संपूर्ण भारतीय रेलवे के लिए भी सम्मान की बात है। हज यात्रा के दौरान वे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा देश की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर श्री पठान ने सर्वप्रथम अल्लाह का आभार व्यक्त करते हुए अपने परिवार, सहकर्मियों एवं रेलवे अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया, जिन्होंने उन्हें इस उपलब्धि तक पहुंचने में सहयोग प्रदान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करेंगे।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि पश्चिम रेलवे परिवार को श्री पठान की इस उपलब्धि पर गर्व है तथा उनके सफल एवं सुरक्षित हज दायित्व निर्वहन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं।

गोंडल स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से यात्री का मोबाइल सुरक्षित लौटाया गया

भावनगर मंडल के गोंडल रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता एवं तत्परता का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है।

दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को सवारी गाड़ी संख्या 19208 राजकोट-पोरबंदर एक्सप्रेस गोंडल स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 01 पर लगभग सायं 17:00 बजे आकर चली गई। गाड़ी के चले जाने के तुरंत बाद ऑन-ड्यूटी रेलवे पॉइंट्समैन सुश्री हेमवर्षा बेन ने रेलवे ट्रैक पर एक मोबाइल फोन की घंटी बजते हुए सुनी। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया तथा इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल (RPF) गोंडल के हेड कांस्टेबल

श्री उत्पल भाई को दी।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाइल सादिया बेन (पत्नी श्री शब्बीर), निवासी धोराजी, जिला राजकोट का है, जो गोंडल से धोराजी जाने हेतु उक्त गाड़ी में यात्रा कर रही थीं। जल्दबाजी में सामान रखते एवं ट्रेन में चढ़ते समय उनका मोबाइल गिर गया था।

यात्री को मोबाइल के गोंडल स्टेशन पर सुरक्षित होने की सूचना दी गई। तत्पश्चात उनके परिजन श्री मो. यूसुफ अहमद भाई, निवासी गोंडल, स्टेशन पर उपस्थित हुए। आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत रेलवे कर्मचारी एवं RPF स्टाफ द्वारा मोबाइल सुरक्षित रूप से उन्हें सुपुर्द किया गया।

मोबाइल प्राप्त होने पर यात्री एवं उनके परिजनों ने रेलवे एवं RPF कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि भावनगर मंडल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार की घटनाएं रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी एवं सजगता को दर्शाती हैं।

श्री रामाश्रय पाण्डेय ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया

भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा (IRSE) के 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री रामाश्रय पाण्डेय ने शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आप पूर्व मध्य रेलवे, पटना में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/दक्षिण) के पद पर कार्यरत थे।

अपने उत्कृष्ट कैरियर के दौरान श्री पाण्डेय ने उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी मंडल में मंडल रेल प्रबंधक (DRM) के रूप में तथा उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में मुख्य इंजीनियर के पद पर कार्य किया है। आपने गोरखपुर एवं समस्तीपुर में उप मुख्य इंजीनियर, रेलवे बोर्ड में सदस्य इंजीनियरिंग के विशेष कार्याधिकारी (OSD), रेलवे बोर्ड में निदेशक सतर्कता तथा हाजीपुर में उप मुख्य सतर्कता

अधिकारी सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएँ दी हैं। आप रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) में ग्रुप जनरल मैनेजर के रूप में भी कार्यरत रहे, जहाँ आपने कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया।

श्री पाण्डेय आईआईटी रुड़की से बी.टेक. तथा आईआईटी दिल्ली से एम.टेक. की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। रेल परिचालन तथा आधारभूत संरचना प्रबंधन के क्षेत्रों में श्री पाण्डेय ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने इटली में ट्रैक रिकॉर्डिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, सिंगापुर एवं मलेशिया में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, स्पेन में हाई-स्पीड ट्रेन परिचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा तुर्की एवं नॉर्वे में सुरंग निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

श्री पाण्डेय को आधारभूत संरचना के निर्माण तथा प्रबंधन एवं प्रशासन का व्यापक अनुभव प्राप्त है। आप अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं और पूर्ण विश्वास है कि आपके गतिशील नेतृत्व में पश्चिम रेलवे नई उपलब्धियाँ हासिल करते हुए नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु बसों की विशेष व्यवस्था

भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद खंड पर प्रीकास्टेड पोर्टल बीम की स्थापना का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

इस ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। इसी क्रम में ट्रेन संख्या 20901/20902 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर केपिटल-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा, जिसमें यह ट्रेन वटवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट/प्रारंभ (ओरिजिनेट) की जाएगी।

यात्रियों को निर्बाध एवं सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अहमदाबाद मंडल द्वारा दिनांक 13 अप्रैल को विशेष बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है—

वटवा से अहमदाबाद के लिए 12 एसी बसों की व्यवस्था की गई है।

वटवा से गांधीनगर के लिए 2 एसी बसों की व्यवस्था की गई है।

यह विशेष व्यवस्था यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जिससे यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

नडियाद यार्ड में RUB पुनर्निर्माण कार्य हेतु ट्रैफिक ब्लॉक के कारण ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुरक्षा एवं रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वडोदरा मंडल के अंतर्गत नडियाद यार्ड में स्थित ब्रिज संख्या 670 पर रोड अंडर ब्रिज (RUB) के पुनर्निर्माण कार्य के अंतर्गत गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा।

इस कार्य हेतु दिनांक 12 अप्रैल, 2026 (रविवार) को 13:30 बजे से 17:00 बजे तक (03 घंटे 30 मिनट) तथा दिनांक 15 अप्रैल, 2026 (बुधवार) को 11:30 बजे से 15:00 बजे तक (03 घंटे 30 मिनट) ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेंगीः

ट्रेन संख्या 12656 चेन्नई–अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस, दिनांक 12.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 10 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी, दिनांक 12.04.2026 को निरस्त रहेगी।

ट्रेन संख्या 19036 मणिनगर–वडोदरा इंटरसिटी, दिनांक 15.04.2026 को निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

अहमदाबाद–पालनपुर खंड पर साबरमती डी केबिन पर नई 'वाई-कनेक्टिविटी' के कार्य हेतु ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं परिचालन दक्षता को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद–पालनपुर खंड पर साबरमती डी केबिन पर नई 'वाई-कनेक्टिविटी' के कार्य हेतु नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 14 अप्रैल, 2026 (मंगलवार) को साबरमती – खोडियार सेक्शन के मध्य किया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होने से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम एवं तेज होगी, मार्ग क्षमता में वृद्धि होगी, परिचालन में लचीलापन आएगा तथा समयपालन में सुधार होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर एवं अधिक विश्वसनीय सेवा का लाभ मिलेगा। यह कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेंगीः

रद्द ट्रेनें:

▸▸ट्रेन संख्या 69249 (साबरमती – कटोसन रोड) दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल, 2026 को पूर्णतः रद्द रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 69250 (कटोसन रोड – साबरमती) दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल, 2026 को पूर्णतः रद्द रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 79433 (साबरमती – पाटन) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को पूर्णतः रद्द रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 79434 (पाटन – साबरमती) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को पूर्णतः रद्द रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 79435 (साबरमती – पाटन) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को पूर्णतः रद्द रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 79436 (पाटन – साबरमती) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को पूर्णतः रद्द रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 79431 (साबरमती – महेसाणा) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को पूर्णतः रद्द रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 79432 (महेसाणा – साबरमती) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को पूर्णतः रद्द रहेगी।

आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें:

▸▸ट्रेन संख्या 14822 (साबरमती – जोधपुर) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को साबरमती – आबूरोड के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 14821 (जोधपुर – साबरमती) दिनांक 13 अप्रैल, 2026 को आबूरोड – साबरमती के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

टर्मिनल परिवर्तनः

▸▸ट्रेन संख्या 19032 (योगनगरी ऋषिकेश – साबरमती योगा एक्सप्रेस) दिनांक 13 अप्रैल, 2026 को साबरमती बीजी के स्थान पर साबरमती जंक्शन (जेल साइड (SBT)) तक शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी।

मार्ग परिवर्तन (Diversion):

▸▸ट्रेन संख्या 22497 (श्रीगंगानगर – तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस) दिनांक 13 अप्रैल, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग खोडियार – साबरमती डी केबिन – साबरमती बीजी – साबरमती ए केबिन के स्थान पर परिवर्तित मार्ग खोडियार – चांदलोडिया बी केबिन – साबरमती ए केबिन होकर चलेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 20902 (गांधीनगर कैपिटल – मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग खोडियार – साबरमती डी केबिन – साबरमती बीजी – साबरमती ए केबिन के स्थान पर परिवर्तित मार्ग खोडियार – चांदलोडिया बी केबिन – साबरमती ए केबिन होकर चलेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 20960 (वडनगर – वलसाड इंटरसिटी) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग खोडियार – साबरमती डी केबिन – साबरमती बीजी – साबरमती ए केबिन के स्थान पर परिवर्तित मार्ग खोडियार – चांदलोडिया बी केबिन – साबरमती ए केबिन होकर चलेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 20959 (वलसाड – वडनगर इंटरसिटी) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग साबरमती ए केबिन – साबरमती डी केबिन – खोडियार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग साबरमती ए केबिन – चांदलोडिया बी केबिन – खोडियार होकर चलेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 20901 (मुंबई सेंट्रल – गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस) दिनांक 14 अप्रैल, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग साबरमती ए केबिन – साबरमती डी केबिन – खोडियार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग साबरमती ए केबिन – चांदलोडिया बी केबिन – खोडियार होकर चलेगी।

▸▸ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

बांद्रा टर्मिनस–गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन एवं अतिरिक्त ठहराव की अधिसूचना

पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 05034/05033 बांद्रा टर्मिनस–गोमती नगर स्पेशल ट्रेन के मार्ग में अस्थायी अवधि के लिए परिवर्तन के साथ-साथ मार्ग में अतिरिक्त ठहराव की अधिसूचना जारी की गई है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 05034 बांद्रा टर्मिनस–गोमती नगर स्पेशल 14 अप्रैल, 2026 से 12 मई, 2026 तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से 23:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा गुरुवार को 07:35 बजे गोमती नगर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05033 गोमती नगर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 13 अप्रैल, 2026 से 11 मई, 2026 तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को गोमती नगर से 14:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20:00 बजे बांद्रा

टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन अब दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, भरतपुर, मथुरा, कासगंज, इज्जतनगर, पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर, डालीगंज तथा बादशाहनगर स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन संबंधी विस्तृत जानकारी एवं रियल-टाइम ट्रेन स्थिति के लिए यात्री कृपया https://enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक वर्ष की सजा और ₹2,64,982 मुआवजा देने का आदेश

अहमदाबाद, 12 अप्रैल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस मामलों से संबंधित कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच वित्तीय लेन-देन में विश्वास बनाए रखना है। इसलिए ऐसे मामलों में यदि आरोपी के प्रति नरमी या सहानुभूति दिखाकर हल्की सजा दी जाती है, तो इससे न केवल चेक आधारित लेन-देन में विश्वास कमजोर होगा, बल्कि कानून का उद्देश्य भी विफल हो जाएगा। ऐसे मामलों में आरोपी के प्रति अनावश्यक नरमी दिखाना समाज में इस तरह के तत्वों को प्रोत्साहित करने के समान है।

इसी तरह के एक चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोपी मनोजकुमार जयप्रकाश यादव को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी

को शिकायतकर्ता को 2,64,982 मुआवजे के रूप में देने का भी महत्वपूर्ण आदेश दिया। शिकायतकर्ता SARVP फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिकृत अधिकारी मानस राम त्रिपाठी ने अधिवक्ता ए. जे. सैय्यद, अजयसिंह बी. खरवाड़, वाई. जे. त्रिवेदी के साथ-साथ पी. एन. प्रजापति, के. एस. उटेकर और आर. सी. राठौड़ के माध्यम से अदालत का ध्यान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित किया।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच हुए समझौते के अनुसार, शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और वित्तीय जांच पूरी करने के बाद आरोपी को 2,64,982 से अधिक का ऋण दिया था।

लेकिन आरोपी ने तय समय सीमा में ऋण वापस नहीं किया। इसके अलावा, आरोपी ने शिकायतकर्ता को 2,64,982 का एक चेक (एचडीएफसी फर्स्ट बैंक से) जारी किया, जो बैंक में जमा करने पर अपर्याप्त धनराशि (insufficient funds) के कारण बाउंस हो गया।

सूरत में बिज़नेस नेटवर्किंग का नया युग: AI तकनीक से होगा 'स्पीड बिज़नेस कॉन्क्लेव', 500 से अधिक उद्यमी होंगे शामिल

Surat के उद्योग और व्यापार जगत में एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है, जो पारंपरिक नेटवर्किंग के तरीकों को पूरी तरह बदल सकती है। Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (एसजीसीसीआई) द्वारा 18 अप्रैल 2026 को सरसाना स्थित प्लैटिनम हॉल में AI आधारित 'स्पीड बिज़नेस नेटवर्किंग कॉन्क्लेव' का आयोजन किया जा रहा है। इसे देश में अपनी तरह का पहला आयोजन बताया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बिज़नेस नेटवर्किंग को तेज, स्मार्ट और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उद्यमियों और प्रोफेशनल्स को सीमित समय में अधिकतम उपयोगी संपर्क बनाने का अवसर देना है। चैंबर के प्रेसिडेंट Nikhil Madrasi ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में नेटवर्किंग केवल परिचय तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह बिज़नेस ग्रोथ का एक अहम आधार बन चुकी है। ऐसे में AI तकनीक के उपयोग से इस प्रक्रिया को और अधिक सटीक और परिणामदायी बनाया जा सकता है। इस आयोजन में विभिन्न उद्योगों, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े 500 से अधिक उद्यमी, व्यवसायी और प्रोफेशनल्स भाग लेंगे। चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट Ashok Jirawala के अनुसार, प्रतिभागियों को फेस-टू-फेस मीटिंग्स के माध्यम से न केवल नए बिज़नेस कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि वे अपने आइडियाज और अनुभव भी साझा कर सकेंगे, जिससे नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।

कॉन्क्लेव की सबसे खास बात इसकी संरचना है। इसमें 30-30 मिनट के तीन राउंड में बिज़नेस मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी, जिससे प्रत्येक प्रतिभागी को लगभग 21 अलग-अलग उद्यमियों से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिलेगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित होगी, जिससे समय की बचत के साथ-साथ पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

एसजीसीसीआई बिजनेस कनेक्ट के चेयरमैन Chandrakant Prajapati ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में तकनीक का उपयोग बेहद व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से प्रतिभागी अपनी रुचि और प्राथमिकताएं दर्ज कर सकेंगे। इससे हर एक इंटरैक्शन का डेटा तुरंत सिस्टम में रिकॉर्ड होगा और लाइव स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल नेटवर्किंग को तेज बनाएगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि हर प्रतिभागी को उसकी जरूरत के अनुसार सही संपर्क मिल सके।

चैंबर ग्रुप चेयरमैन Deepakkumar Sethwala और एडवाइजर Tapan Jariwala ने इस आयोजन को सूरत के बिज़नेस इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर बताया है। उनका मानना है कि इस तरह की पहलें शहर के उद्योगों को न केवल आधुनिक बनाएंगी, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बनाएंगी।

कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। Amit Pathak और Vishal Shah इस कॉन्क्लेव में एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में शामिल होंगे। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बिज़नेस ग्रोथ के नए आयामों पर प्रकाश डालेंगे और प्रतिभागियों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे तकनीक का सही उपयोग कर वे अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।

सूरत में भाजपा कार्यकर्ता 60 वर्ष की आयु सीमा के नियम और क्रॉस वोटिंग की संभावना से नाखुश हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

गुजरात के विभिन्न शहरों में होने वाले नगर निगम, जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मौड़ी मंडल 60 वर्ष से अधिक आयु के और तीन कार्यकाल तक पार्षद रह चुके पार्षदों को टिकट नहीं देगा। यह नियम न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि विधायकों और सांसदों पर भी लागू होना चाहिए। इस नियम के कारण, पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं, जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया है, घर छोड़कर पार्टी के प्रचार कार्य में लगे रहे, बैनर बनवाए और लगाए, ट्रक भरवाए और पार्टी के लिए निरंतर संघर्ष किया। उम्र के बहाने उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। जब देश के सफल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक के सफर में देश के हित में बिना एक दिन भी छुट्टी लिए लगातार सेवा कर रहे हैं, तब उनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है, लेकिन वे स्वस्थ हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विधायकों, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों पर 60 वर्ष की आयु सीमा का नियम लागू नहीं होता,

तो अगर भाजपा 60 वर्ष की आयु सीमा लागू करना चाहती है, तो यह सीमा सभी पर लागू होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। नियम बनाने वालों पर भी इस नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए। अब बात करते हैं भाजपा के आम कार्यकर्ता की। आम कार्यकर्ता को पता भी नहीं चलता कि कब उसने पार्टी सेवा के 60 साल पूरे कर लिए। जब वह तन-मन और धन से पार्टी की सेवा करता है और टिकट की मांग करता है, तो उसे उम्र के बहाने टिकट से वंचित कर दिया जाता है। भाजपा के लिए वर्षों तक दिन-रात मेहनत करने वाले, दिन-रात पार्टी की सेवा करने वाले, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सभाओं में जनसमर्थन करने में अहम योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के बजाय, हवा का रुख देखकर पाल मोड़ने के बजाय, भाजपा ने 60 साल और तीन कार्यकाल का नियम बनाकर जमीनी कार्यकर्ताओं के भीतर छिपे गुस्से को भड़काने का पाप किया है। कार्यकर्ताओं में इसके खिलाफ गंभीर असंतोष है। और यह असंतोष पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। संक्षेप में, उम्मीदवारों के साथ उम्र या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सूरत के कई उम्मीदवार हताश और निराश महसूस कर रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और विधानसभा मंत्री सभी 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो नगरपालिका, नगर निगम, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के चुनावों के लिए ही 60 वर्ष और तीन कार्यकाल का नियम क्यों लागू है? ऐसे में, जब भाजपा ने अपने पार्टी आधार के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ-साथ देश की जनता में भी गुप्त आक्रोश पैदा कर दिया है, तो आगामी चुनावों में राष्ट्रपति की हार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी! इसके अलावा, क्रॉस वोटिंग से भी पार्टी को नुकसान होने की उतनी ही संभावना है, इसलिए सूरत नगर निगम और भविष्य में होने वाले अन्य चुनावों के परिणाम चौंकाने वाले होंगे या नहीं, यह देखना बाकी है! वर्तमान में, जब चुनाव आयोग के आदेशों के बाद एसआईआर (SIR) लागू किया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं की संख्या में कमी आई है और जातिगत समीकरण भी बदल गया है, तो यह मुद्दा भी इन चुनावों के परिणामों पर असर डालने वाला है। यह निर्विवाद है।

हरित ऊर्जा की पटरी पर दौड़ता वडोदरा मंडल: सोलर संयंत्रों से करोड़ों की बचत और हजारों टन कार्बन उत्सर्जन में कमी

Indian Railways के हरित ऊर्जा मिशन को मजबूती देते हुए Western Railway का Vadodara मंडल एक नई मिसाल बनकर उभरा है। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उठाते हुए मंडल ने 2.722 मेगावाट पीक (MWp) क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना कर न केवल आर्थिक बचत सुनिश्चित की है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी बड़ा योगदान दिया है। इस पहल के तहत मंडल को प्रतिवर्ष लगभग 2.92 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है, जो भारतीय रेलवे के ऊर्जा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान मंडल रेल प्रबंधक Raju Bhadke के मार्गदर्शन में विद्युत विभाग ने इस परियोजना को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया। इस पूरी पहल में तकनीकी नेतृत्व वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (पावर) Pradeep Meena ने किया, जिनके अनुसार यह परियोजना केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इन सोलर संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 3.64 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। यह उत्पादन न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करेगा, बल्कि ऊर्जा उपयोग की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार लाएगा। आज के समय में, जब ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और पारंपरिक स्रोत सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे में सौर ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों का उपयोग भविष्य की जरूरत बन चुका है। वडोदरा मंडल ने इस दिशा में समय रहते कदम उठाकर एक दूरदर्शी सोच का परिचय दिया है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह पहल बेहद प्रभावशाली है। मानक ग्रिड उत्सर्जन कारक के आधार पर इन सोलर संयंत्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 2632 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO) उत्सर्जन में कमी आएगी। यदि इन संयंत्रों की अनुमानित 25 वर्षों की आयु अवधि को देखा जाए, तो कुल मिलाकर लगभग 65,800 टन CO उत्सर्जन से बचाव संभव होगा। यह आंकड़ा न केवल पर्यावरण के लिए राहत भरा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक ठोस योगदान भी है। इस परियोजना की खास बात यह है कि इसमें उपलब्ध अवसंरचना का प्रभावी उपयोग किया गया है। वडोदरा मंडल के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन, सेवा भवन और अन्य परिसरों की छतों का उपयोग किया गया है। Vadodara railway station परिसर में रनिंग रूम, टीटीई रेस्ट रूम, रिटायरिंग रूम, आरआरआई, लॉबी और कार्यालय भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे हर उपलब्ध स्थान को ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सके।

इसी तरह विद्युत लोको शेड और Ankleshwar railway station सहित अन्य सेवा भवनों में भी सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह रणनीति न केवल लागत प्रभावी है, बल्कि यह दर्शाती है कि किस प्रकार मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग कर बड़े स्तर पर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। इससे नई भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, जो इस परियोजना को और अधिक व्यावहारिक बनाता है। भारतीय रेलवे लंबे समय से अपने संचालन में ऊर्जा दक्षता और हरित पहल को प्राथमिकता देता रहा है। हाल के वर्षों में रेलवे ने सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों को अपनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वडोदरा मंडल की यह पहल उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत रेलवे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं न केवल ऊर्जा लागत को कम करती हैं, बल्कि दीर्घकाल में आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करती हैं। एक बार सोलर संयंत्र स्थापित हो जाने के बाद उनकी संचालन लागत अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे लंबे समय तक निरंतर लाभ मिलता रहता है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। वडोदरा मंडल की यह उपलब्धि अन्य मंडलों और संस्थानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। यदि इसी तरह के प्रयास देशभर में किए जाएं, तो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो वडोदरा मंडल ने स्पष्ट किया है कि वह सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में और अधिक स्थानों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए नए उपाय लागू किए जाएंगे। इसके लिए सुनियोजित कार्यान्वयन और सतत निगरानी की रणनीति अपनाई जाएगी, ताकि हर परियोजना का अधिकतम लाभ मिल सके। यह पहल यह भी दर्शाती है कि सरकारी संस्थान यदि इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता के साथ कार्य करें, तो वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं।

सूरत भाजपा में वाल्मीकि समुदाय को टिकट न मिलने पर असंतोष और विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं में नाराजगी

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

सूरत नगर भाजपा में वाल्मीकि समुदाय के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार बनने के लिए टिकट की मांग की थी। लेकिन भाजपा ने किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया और वाल्मीकि समुदाय के लोगों को नाराज कर दिया। ये कार्यकर्ता न केवल भाजपा कार्यकर्ता बनकर टिकट पाने की उम्मीद में काम कर रहे थे, बल्कि भाजपा के किसी भी बड़े नेता के आने पर अपनी संख्या दिखाने के लिए बड़ी संख्या में वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को मौजूद रखा जाता था। ये कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ऐसे कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार न बनाकर भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया है और समाज के बड़े लोगों के लिए अपनी पार्टी में उनकी अहमियत को उजागर कर दिया है। भाजपा नगर अध्यक्ष परेश पटेल

किसी भी वाल्मीकि समुदाय के कार्यकर्ता से नरमी से बात करने को भी तैयार नहीं थे। 11/04/2026 को वाल्मीकि समुदाय के कुछ कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष परेश पटेल से पार्टी कार्यालय में मिलने गए और वाल्मीकि समुदाय ने इस बात पर नाराजगी जताई कि उन्होंने वाल्मीकि समुदाय की अनदेखी की और समुदाय से किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया। इससे नाराज होकर परेश पटेल ने इन वाल्मीकि समुदाय के कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई और पार्टी से निकाल दिया। उक्त याचिका में उल्लेखित अनुसार, हम सूरत शहर के संपूर्ण वाल्मीकि समुदाय की ओर से आपको स्पष्ट और भावुक शब्दों में सूचित करना चाहते हैं कि सूरत नगर निगम चुनाव-2026 के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में वाल्मीकि समुदाय को एक भी टिकट नहीं दिया गया है, जिससे समुदाय में गहरा आक्रोश, दुख और असंतोष पैदा हुआ है। उन्होंने आगे कहा है कि वर्षों से हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल मतदाता के रूप में, बल्कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। हर चुनाव में, हर परिस्थिति में, हम पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। फिर भी इस बार हमें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जो सीधा अन्याय और अपमान है। हमारी स्पष्ट भावना और मांग है कि यह उपेक्षा अब असहनीय है। बार-बार हुए अन्याय के बाद, यह निर्णय वाल्मीकि समुदाय के लिए "अंतिम प्रहार" के समान है। "सबका साथ, सबका विकास" मात्र एक नारा बनकर रह गया है। जब वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, तो यह नारा जमीन पर खोखला प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट की बैठक में भी वाल्मीकि समुदाय को नजरअंदाज करना एक गंभीर मामला है। यह निर्णय समुदाय को स्पष्ट संदेश देता है कि अब तक वाल्मीकि समुदाय को केवल नजरअंदाज किया गया है। कार्यकर्ताओं में विद्रोह जैसी स्थिति है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। वाल्मीकि समुदाय की यह दृढ़ मांग है कि यदि उन्हें तत्काल उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में समुदाय द्वारा एक संगठित और सशक्त राजनीतिक निर्णय लिया जाएगा। समुदाय अब केवल आश्वासन ही नहीं, बल्कि अधिकारों की मांग करता है। यदि आवश्यक हुआ, तो संपूर्ण वाल्मीकि समुदाय एकजुट होकर अपना मार्ग स्वयं चुनेगा।

सचिन जीआईडीसी में नई राह से बढ़ी रफ्तार: ग्रीन स्पेस से बनी कनेक्टिविटी ने इंडस्ट्रियल एरिया को दिया स्मार्ट शॉर्टकट

Surat के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक बदलाव देखने को मिला है, जिसने न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाया है बल्कि इंडस्ट्रियल गतिविधियों को भी नई गति दी है। सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में ग्रीन स्पेस का सुनियोजित उपयोग कर एक नया शॉर्टकट मार्ग विकसित किया गया है, जो अब उद्योगपतियों और कामगारों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरा है। इस नई पहल के तहत करीब एक किलोमीटर लंबा चक्कर लगाने की मजबूरी खत्म हो गई है और अब लोग सीधे अपने गंतव्य तक कम समय में पहुंच पा रहे हैं।

यह नया मार्ग रोड नंबर 8 पर 8/4 जंक्शन सागर चौकड़ी के पास प्लॉट नंबर 435 के पीछे स्थित ग्रीन स्पेस को साफ-सफाई और समतलीकरण के बाद तैयार किया गया है। Sachin Notified Area Authority द्वारा इस क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया, जिससे टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर जैसी छोटी गाड़ियों के लिए सुगम आवागमन संभव

हो सका। पहले यह स्थान अनुपयोगी और अव्यवस्थित था, लेकिन अब यह एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी लिंक के रूप में उभरकर सामने आया है।

इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य था इंडस्ट्रियल एरिया के भीतर ट्रैफिक दबाव को कम करना और समय की बचत सुनिश्चित करना। सचिन इंडस्ट्रियल सोसायटी के सेक्रेटरी Mayur Golwala ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नए मार्ग के शुरू होने से उद्योगपतियों और कर्मचारियों को अब लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। वे इस शॉर्टकट के जरिए सीधे कॉलोनी के सरदार वल्लभभाई पटेल ज़ोन तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे उनके दैनिक आवागमन में काफी सुविधा होगी।

इस सड़क का उद्घाटन इंडस्ट्रियलिस्ट Bharat Movaliya और Girishbhai Godhani द्वारा विधिवत रूप से रिबन काटकर किया गया। उद्घाटन के दौरान स्थानीय उद्योगपतियों और सोसायटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी ने इस पहल की महत्ता को और बढ़ा दिया। सभी ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया।

यह केवल एक सड़क का निर्माण नहीं है, बल्कि यह एक सोच का परिणाम है—एक ऐसी सोच, जिसमें सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर बेहतर परिणाम हासिल किए गए हैं। ग्रीन स्पेस को बिना नुकसान पहुंचाए, उसे उपयोगी बनाकर कनेक्टिविटी बढ़ाना एक संतुलित और दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है।

सप्ताह के दौरान क्रूड ऑयल वायदा 1475 रुपये फिसला: सोना वायदा में 3754 रुपये और चांदी वायदा में 11273 रुपये का ऊछाल

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 6 से 9 अप्रैल के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1570899.64 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 224535.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 1346360.58 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36353 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 42437.41 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 133893.92 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 148847 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 154934 रुपये के उच्च और 148298 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 149680 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 3754 रुपये या 2.51 फीसदी की तेजी के संग 153434 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 3107 रुपये या 2.6 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 122419 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 397 रुपये या 2.66 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 15332 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 147848 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 153390 रुपये के उच्च और 146682 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 3932 रुपये या 2.65 फीसदी की मजबूती के साथ 152072 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 147797 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 153697 रुपये के उच्च और 147137 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 148539 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 3827 रुपये या 2.58 फीसदी की बढ़त के साथ 152366 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 224535.06 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 1346360.58 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 133893.92 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36353 पॉइंट के स्तर पर

230716 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 246660 रुपये और नीचे में 224621 रुपये पर पहुंचकर, 232495 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 11273 रुपये या 4.85 फीसदी बढ़कर 243768 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 10291 रुपये या 4.37 फीसदी की तेजी के संग 245936 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 10103 रुपये या 4.29 फीसदी तेज होकर सप्ताह के अंत में यह कॉन्ट्रैक्ट 245862 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में 14376.45 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 37.85 रुपये या 3.28 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1192.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 7.65 रुपये या 2.37 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 330.85 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 10 पैसे या 0.03 फीसदी घटकर 354.25 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 75 पैसे या 0.38 फीसदी घटकर 194.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 76189.16 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 10350 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 10990 रुपये और नीचे में 8535 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 1475 रुपये या 14.17 फीसदी गिरकर 8933 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 1469 रुपये या 14.12 फीसदी की गिरावट के साथ 8934 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 268.1 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 271.8 रुपये और नीचे में 249.2 रुपये पर पहुंचकर, 264 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13.4 रुपये या 5.08 फीसदी गिरकर 250.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 13.4 रुपये या 5.08 फीसदी लुढ़ककर 250.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 1050 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 30.8 रुपये या 2.99 फीसदी औंधकर 998.6 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 87291.33 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 46602.59 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 9989.66 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 2315.57 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 111.15 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 1960.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा सप्ताह के दौरान क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 60593.85 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 15403.36 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 7385 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 32157 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 13880 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 179241 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 31116 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 5704 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 14541 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 54308 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 8361 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 40164 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 36002 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 36813 के उच्च और 35687 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 528 पॉइंट बढ़कर 36353 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।